न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड [illegible]

राजस्व प्रकरण संख्या 33/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम [illegible]

सायल

राजस्थान सरकार जरिये . बनाम श्री खाल्‍लू राम फकुगाराम

पटवारी हल्का गिराब जाति मेघवाल शास्त्रीगांव

तहसील गडरारोड [illegible]

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल [illegible] हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुबड़िया के खसरा नम्बर 741/68 रकबा 1899.06 बीघा में से 5 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल [illegible] धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को [illegible] सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन [illegible] अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पच्चास [illegible] आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराब को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर [illegible] फसल की तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ [illegible] योम में पेश करे । पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक [illegible] बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना [illegible] करें। पत्रावली डी.आर.आर. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50 फराल नि. —

कुल योग 50 रजि.के पृष्ठ सं. 33

दर्ज 2019-20 में इन्द्राज किया गया :